रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112023-250239 CG-DL-E-23112023-250239

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4831]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945

No. 4831]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

सं. 85/2023- सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 5040(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप- धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस में न्याय निर्णायन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता (मै/से)	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों	नियुक्त न्यायनिर्णयन
. , ,	दिनांक	के नाम	प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मै/ से गोल्डराइप इंटरनेशनल प्राइवेट	DRI/NRU/C1/26/Int-	अपर/ संयुक्त आयुक्त	अपर/ संयुक्त आयुक्त
लिमिटेड, खसरा नंबर 1310, गाँव	02/Enq-23/2021/1649-	सीमाशुल्क (निवारक), केन्द्रीय	सीमाशुल्क, नोएडा कस्टम्स
काशी, गगोल रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	1658 दिनांक 21.12.2021	भवन, अलीगंज, लखनऊ	कमिशनरेट, आईसीडी-

7333 GI/2023 (1)

अपर/ संयुक्त आयुक्त सीमादादरी, गौतम बुद्ध नगर
शुल्क, नोएडा कस्टम्स
कमिशनरेट, आईसीडी-
दादरी, गौतम बुद्ध नगर

[फा. सं. 437/06/2021- सीमाश्ल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2023

No. 85/2023-Customs (N.T.)

S.O. 5040(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with Section 3 and sub-sections (1) and (1A) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints the officer mentioned in column (4) of the Table below, to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table, for purpose of adjudication of the Show Cause Notice, mentioned in column No (2) of the said Table, in respect of the Noticee mentioned in column No (1) therein, namely:-

TABLE

Name of the Noticee(s) and	Show Cause Notice	Name of Adjudicating Authorities	Common
Address (M/s.)	Number and Date		Adjudicating
			Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
M/s.Goldripe International	DRI/NRU/C1/26/Int-	Additional/Joint Commissioner of	Additional/Joint
Pvt. Ltd., Khasra No.1310,	02/Enq-23/2021/1649-	Customs (Prev.), Kendriya Bhawan,	Commissioner of
Village Kashi, Gagol Road,	1658 dtd.21.12.2021	Aliganj, Lucknow	Noida Customs
Meerut, Uttar Pradesh.		Additional/Joint Commissioner of	Commissionerate,
		Customs, Noida Customs	ICD-Dadri, Gautam
		Commissionerate, ICD-Dadri, Gautam	Budh Nagar.
		Budh Nagar.	

[F. No. 437/06/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Director (Customs)